कृषि विज्ञान केन्द्र, सबौर

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

भागलपुर 813 210

☎ दूरभाष सं॰ : **0641 – 2451186** ई–मेल :**bhagalpurkvk@gmail.com**

22वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 11.09.2025 को माननीय कुलपति, डॉ॰ डी॰ आर॰ सिंह, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केन्द्र, भागलपुर की 22वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

उपस्थिति: - उपस्थिति पंजी में संधारण।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित माननीय कुलपति डॉ॰ डी॰ आर॰ सिंह, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, डॉ॰ आर॰ के॰ सोहाने, निदेशक प्रसार शिक्षा, डॉ॰ अंजनी कुमार, निदेशक अटारी, डॉ॰ मो॰ मोनोबुरूल्लाह, प्रमुख वैज्ञानिक, अटारी, पटना, डॉ॰ अजय कुमार साह, अधिष्ठाता, कृषि, डॉ॰ फिज़ा अहमद, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, डॉ॰ अभय मानकर, उप निदेशक प्रशिक्षण, ई॰ कुमार संजीव रमन, निदेशक कार्य एवं संयंत्र, डॉ॰ अंशुमन कोहली, अध्यक्ष, मृदा विज्ञान विभाग, डॉ॰ किरण कुमारी, अध्यक्ष, कीट विज्ञान विभाग, डॉ॰ ए॰ पी॰ भगत, अध्यक्ष पौधा रोग विभाग, डॉ॰ वाइ॰ के॰ सिंह, मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, श्री प्रेम शंकर प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी, श्रीमती अंजली कुमारी सिन्हा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, श्री श्याम बिहारी सिंह , संयुक्त कृषि निदेशक(सस्य), श्री कृष्ण कन्हैया, जिला मत्स्य पदाधिकारी, भागलपुर, श्री सुजीत कुमार पाल, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, भागलपुर, श्रीमति अर्चना प्रिया, डी॰डी॰एम॰, नावार्ड, एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान द्वारा किया गया एवं अध्यक्ष महोदय के अनुमति उपरान्त बैठक की कारवाई प्रारंभ की गई।

श्रीमती अनिता कुमारी, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान द्वारा वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 21वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि हेतु समिति से अनुरोध की गई। जिसपर सर्वसम्मति द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् पूर्व में आयोजित बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन प्रस्तुति के क्रम में वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान द्वारा प्रगति प्रतिवेदन (अक्टूबर, 2024 से अगस्त, 2025) प्रस्तुत किया गया एवं केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा अपने-अपने कृषक खेत परीक्षण एवं अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण पर विस्तृत रूप से कार्य प्रगति संबंधी जानकारी दी गई। तत्क्रम में वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान द्वारा केन्द्र के प्रक्षेत्र की गतिविधियाँ, कृषक खेत पर परीक्षण, बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रत्यक्षण इकाई का विवरण एवं अन्य प्रसार गतिविधियाँ पर उपलब्धियों को माननीय सदस्यों के सामने रखी। पुनः वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान द्वारा केन्द्र की प्रस्तावित कार्यक्रम (सितम्बर से दिसम्बर, 2025) पर प्रकाश डाला गया।

अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों/सदस्यों द्वारा विचार एवं सुझाव समिति सदस्यों के समक्ष रखा गया। अध्यक्ष महोदय ने केन्द्र के प्रधान एवं वैज्ञानिकों को कृषि विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य करने की सलाह दी, जिससे केन्द्र गतिविधियों एवं परियोजना के माध्यम से किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाने की बात कही एवं महिला उद्यमियों को स्वरोजगार परक प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र से जुड़ने का आवाह्न किया। साथ ही उन्होंने डी.डी.एम. नावार्ड, भागलपुर को नावार्ड द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, सबौर से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण मुहैया कराने में त्वरित कारवाई करने का सुझाव दिया।

बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों द्वारा निम्न मुख्य निर्देश/सुझाव प्राप्त हुए-

1. जलवायु अनुकूल कृषि (CRA) के तकनीकों के प्रभाव का पत्रक तैयार कर किसानों के बीच वितरित किया जाय।

अनुपालन – ई. पंकज कुमार (कृषि अभियंत्रण), कृ०वि०के०, सबौर

2. कृषक खेत पर किए गए परीक्षण (OFT) की अनुशंसाएँ (Recommendations) एक पत्रक (Leaflet) में तैयार कर किसानों के बीच वितरित किया जाए।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (सभी), कृ०वि०के०, सबौर

3. केन्द्र द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ कृषक संदेश एवं कृषक समाचार अपने जिले के जनप्रतिनिधियों (जैसे माननीय सांसद, विधायकगण एवं अन्य सम्मानित अतिथियों) को पंजीकृत डाक (Registered Post) द्वारा भेजना सुनिश्चित किया जाए। इसके प्रेषण का अभिलेख (Record) तैयार रखा जाए, जिसे वरीय पदाधिकारी के केन्द्र भ्रमण के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुपालन – वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, ई. पंकज कुमार (कृषि अभियन्ता) एवं आशुलिपिक, कृ०वि०के०, सबौर

4. बिहार कौशल विकास मिशन (Bihar Skill Development Mission) के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षणों का विषयवार प्रभाव (Impact Assessment) तैयार किया जाए और इसे निदेशक प्रसार शिक्षा को भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

अनुपालन – प्रभारी बिहार कौशल विकास मिशन एवं सम्बंधित वि० व० वि०, कृ०वि०के०, सबौर

5. पशुओं में सर्वाधिक पाए जाने वाले रोगों (Common Animal Diseases) की जानकारी के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। संबंधित रोगों का निदान (Diagnosis) एवं रोकथाम उपाय एक पत्रक (Leaflet) में प्रकाशित कर किसानों के बीच वितरित किया जाए। ।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशु विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

6. मशरूम उत्पादक किसानों का डाटाबेस संग्रहित किया जाए तथा इसे संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (कीट विज्ञान एवं गृह विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

7. सब्जियों में Bio-Pesticide के प्रयोग का कम से कम एक प्रत्यक्षण (Demonstration) सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसान इसके प्रभाव और उपयोग विधि को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (कीट विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

8. जैविक सब्जी (Organic Vegetable) उत्पादन की Full Package प्रत्यक्षण (Demonstration) कम से कम एक चयनित किसान के साथ स्थापित किया जाए, ताकि अन्य किसान इस पूरी तकनीक को देख सकें और अपने खेतों में अपनाने हेतु प्रेरित हों।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान), कृ०वि०के०, सबौर

9. केन्द्र द्वारा सत्यापित सफल कृषि तकनीकों की सूची संबंधित विभागों को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन तकनीकों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (सभी) एवं वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृ०वि०के०, सबौर

10. Silage (पशु चारा संरक्षण) बनाने की सफल तकनीक को चयनित किसानों के यहाँ स्थापित किया जाए तथा उसका प्रचार-प्रसार अन्य पशुपालकों के बीच किया जाए, ताकि पशुपालन क्षेत्र में चारे की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार हो सके।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशु विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

11. केन्द्र में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) का Focused Model स्थापित कर यथा संभव इसका प्रचार प्रसार किसानों के बीच किया जाय, ताकि अधिक से अधिक किसान इस टिकाऊ खेती पद्धति को अपनाने हेतु प्रेरित हों ।

अनुपालन – डॉ० ममता कुमारी, प्रभारी प्राकृतिक खेती, कृ०वि०के०, सबौर

12. केन्द्र में किए जा रहे मछली जीरा (Fish Seed) उत्पादन के प्रसार (Expansion) एवं उसके लाभ का आकलन किया जाए, ताकि इसकी उपयोगिता एवं किसानों के बीच प्रसार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन हो सके।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशु विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

13. आगामी सत्र से RAWE कार्यक्रम अंतर्गत बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर के छात्रों को कृषि विज्ञान केन्द्र, भागलपुर के स्थान पर अन्य किसी कृषि विज्ञान केन्द्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को विविध परिस्थितियों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके ।

अनुपालन - अधिष्ठाता (कृषि), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

14. गन्ने के अंतरवर्ती फसल के सफल तकनीक का प्रत्यक्षण केन्द्र के परिसर में स्थापित किया जाय, ताकि अन्य किसान भी इस तकनीक को देखकर इसे अपने खेतों में अपनाने हेतु प्रेरित हों।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान एवं कीट विज्ञान) एवं प्रभारी प्रक्षेत्र, कृ०वि०के०, सबौर

15. मोटे अनाज के Package and Practice की पत्रक को प्रकाशित कर किसानों के बीच वितरित किया जाय, ताकि किसान मोटे अनाज की वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन एवं लाभ में वृद्धि कर सकें।

अनुपालन – ई. पंकज कुमार (कृषि अभियंत्रण) एवं डॉ० पवन कुमार (कीट विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

16. मक्का एवं आलू के अंतरवर्तीय फसल एवं अरहर में खरपतवारनाशी तकनीक की पत्रक को प्रकाशित कर किसानों के बीच वितरित किया जाय, ताकि वे इन उन्नत तकनीकों को अपने खेतों में अपना सकें।

अनुपालन - डॉ० ममता कुमारी (उद्यान), एवं डॉ० पवन(कीट विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

17. कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में
    a. District- Profile (Demography of the district)
    b. Soil Fertility Map of the district
    c. Staff positions with subject का LED बोर्ड नहीं लगे हैं जिन्हें तत्काल लगवाना सुनिश्चित किया जाये।

अनुपालन - ई. पंकज कुमार, वि० व० वि०, (कृषि अभियंत्रण), कृ०वि०के०, सबौर

18. गेंदा की खेती का व्यापक प्रचार – प्रसार सुलतानगंज के किसानों के बीच किया जाय ताकि किसान इसे स्वरोज़गार रूप में अपना सके ।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान), कृ०वि०के०, सबौर

19. कृषि विज्ञान केन्द्र, भागलपुर की स्थापना से लेकर अब तक भागलपुर जिले के कुल ग्रामों में से कितने प्रतिशत ग्रामों तक केन्द्र की पहुँच हुई है, इसका अभिलेख तैयार किया जाए ।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (सभी) एवं कार्यक्रम सहायक (कम्पुटर), कृ०वि०के०, सबौर

20. गेंदा की वैज्ञानिक तकनीक के प्रत्यक्षण विधि के अंतर्गत किसानों के आर्थिक लाभ का आकलन किया जाए। इसके लिए किसानों की पूर्व एवं पश्चात आय का तुलनात्मक अध्ययन सुनिश्चित किया जाए।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान), कृ०वि०के०, सबौर

21. एक वर्ष के दौरान केन्द्र के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, तकनीकी मार्गदर्शन या अन्य गतिविधियों से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या का एकीकृत अभिलेख तैयार किया जाए ।

अनुपालन – कार्यक्रम सहायक (कम्पुटर), कृ०वि०के०, सबौर

22. तीसी एवं मिलेट के मूल्य संवर्धित उत्पाद पर प्रसंस्करण संबंधी कार्य किए जाएँ, ताकि किसानों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय उत्पादों को बाज़ार उपलब्धता मिल सके।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (गृह विज्ञान), कृ०वि०के०, सबौर

23. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फसलों की किस्मों का चयन इस प्रकार किया जाए कि Mix Cropping एवं Intercropping को बढ़ावा (Promote) दिया जाय।

अनुपालन - विषय वस्तु विशेषज्ञ (सभी), कृ०वि०के०, सबौर

24. मिल प्रोसेसिंग यूनिट (Mill Processing Unit) को Public–Private Partnership (PPP) Mode में स्थापित किया जाए ।

अनुपालन – ई. पंकज कुमार (कृषि अभियंत्रण) एवं डॉ० मो० ज्याउल होदा, प्रभारी (SCSP योजना) , कृ०वि०के०, सबौर

25. गन्ना जूस निकालने की मशीन विश्वविद्यालय के गन्ना प्रक्षेत्र से सम्बन्ध स्थापित कर किया जाय ।

अनुपालन – प्रभारी प्रक्षेत्र, कृ०वि०के०, सबौर

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

ह0/—
वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान
कृ॰वि॰के॰, सबौर

ज्ञापांकः V/01(xiii)/SAC/2025—26/3323 दिनांक : **24 /09 / 2025**

प्रतिलिपि— सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, सबौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान

ज्ञापांकः V/01(xiii)/SAC/2025—26/332 दिनांक : **24 /09 / 2025**

प्रतिलिपि— श्री सर्वेश कुमार, सोनवर्षा, बिहपुर/श्रीमती सरिता देवी, मालपुर, गोपालपुर/श्री नीरज साहु, साहुपरवता, नवगछिया/श्रीमती सुनीता गोस्वामी, संजादपुर, नाथनगर, भागलुपर सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान

ज्ञापांकः V/01(xiii)/SAC/2025—26/332 दिनांक : **24 /09 / 2025**

प्रतिलिपि— फार्म रेडियो पदाधिकारी, ए॰आर॰आई॰, भागलपुर/जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका/डी॰डी॰एम॰ नावार्ड/एल॰डी॰एम॰, यूको बैंक/जिला गव्य विकास पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/सह निदेशक पौधा संरक्षण पदाधिकारी/सह निदेशक (सस्य) भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी/सह निदेशक उद्यान पदाधिकारी/प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी—सह—परियोजना निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, भागलपुर प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान

ज्ञापांकः V / 01(xiii) / SAC / 2025–26 / 332 दिनांक : **24 /09 / 2025**

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, मृदा विज्ञान विभाग / अध्यक्ष, पौधा रोग विभाग / अध्यक्ष, कीट विज्ञान विभाग / मुख्य मृदा सर्वेक्षण पदाधिकारी बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान

ज्ञापांकः V / 01(xiii) / SAC / 2025–26 / 332 दिनांक : **24 /09 / 2025**

प्रतिलिपि– सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर / निदेशक प्रसार शिक्षा / सह निदेशक प्रसार शिक्षा / उप निदेशक प्रशिक्षण, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/09/25
वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान